CNR NO. UPAL010087632025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या –1, अलीगढ़

पीठासीन अधिकारी–हरविन्दर सिंह, एच0जे0एस0 (JO Code-UP 5955)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2792/2025

राजकुमार पुत्र लख्मीचन्द्र उम्र 28 वर्ष, निवासी इब्राहिमाबाद, कस्बा व थाना हरदुआगंज, जिला अलीगढ़।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मु0अ0सं0–313/2025
धारा–303 (2) बी0एन0एस0
थाना–क्वार्सी, जनपद–अलीगढ़।

दिनांक–03–07–2025

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त की ओर से मु0अ0सं0–313/2025 अन्तर्गत धारा–303 (2) बी0एन0एस0 थाना क्वार्सी, जिला अलीगढ़ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त राजकुमार की ओर से अपने जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त उपरोक्त अ0सं0 313/2025 अन्तर्गत धारा 317(2), 317 (4), 317 (5), 345 (3), 112 (2) बी0एन0एस0 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिनांक 18–06–2025 को स्वीकार की जा चुकी है। उक्त मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, जिसमें धारा–303(2) बी0एन0एस0 की बृद्धि कर दी है। अभियुक्त दो माह से कारागार में निरूद्ध है। उक्त धारा–303(2) बी0एन0एस0 में न तो अभियुक्त द्वारा किसी भी अधीनस्थ न्यायालय, न ही किसी सत्र न्यायालय तथा ना ही माननीय उच्च न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र दिया गया है ना ही निस्तारित किया गया है ना ही लम्बित है। अभियुक्त का धारा–303(2) बी0एन0एस0 में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अभियुक्त का मु0 अ0सं0 313/2025 में अन्तर्गत धारा 317(2), 317 (4), 317 (5), 345 (3), 112 (2) बी0एन0एस0 में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–14 द्वारा उक्त धाराओं में दिनांक 01–05–2025 को निरस्त किया गया था तथा इन्हीं धाराओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18–06–2025 को जमानत स्वीकार की गयी है आदि का कथन करते हुए अभियुक्त को आरोप पत्र में बृद्धि की गई धारा 303(2) बी0एन0एस0 जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

3. मैनें अभियुक्त राजकुमार के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य सरकार की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि अभियुक्त राजकुमार का मुकदमा अपराध संख्या 313/2025 अन्तर्गत धारा–317(2), 317 (4), 317 (5), 345 (3), 112 (2) बी0एन0एस0 थाना क्वार्सी, जिला अलीगढ के मामले में विचारण न्यायालय के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया गया तथा इन्हीं धाराओं में अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–14, अलीगढ के द्वारा अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 01–05–2025 को निरस्त किया गया तथा तदोपरांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–16549/2025 राजकुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांकित 18–06–2025 के द्वारा जमानत स्वीकार की गयी है तथा अभियुक्त की ओर से धारा 303 (2) बी0एन0एस0 में किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही निरस्त

हुआ है। प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा विवेचना के उपरांत धारा 303 (2) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी करते हुए आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त धारा 317(2), 317 (4), 317 (5), 345 (3), 112 (2) बी0एन0एस0 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–16549/2025 राजकुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांकित 18–06–2025 के द्वारा जमानत स्वीकार की जा चुकी है। विवेचक द्वारा प्रश्नगत मामले में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र में धारा 303 (2) बी0एन0एस0 की बृद्धि करते हुए आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। वर्तमान मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में अभियुक्त का बृद्धि की गई धारा–303 (2) बी0एन0एस0 में जमानत का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त राजकुमार की ओर से मु0अ0सं0–313/2025 अन्तर्गत धारा–303 (2) बी0एन0एस0, थाना क्वार्सी, जिला अलीगढ के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। चूॅकि अभियुक्त राजकुमार के उपरोक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–16549/2025 राजकुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांकित 18–06–2025 के द्वारा मु0अ0सं0 313/2025 अन्तर्गत धारा 317(2), 317 (4), 317 (5), 345 (3), 112 (2) बी0एन0एस0 में जमानत स्वीकार होने पर जमानत बंधपत्र व निजी बंधपत्र दाखिल किये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में एवं न्यायहित में अभियुक्त के द्वारा अंकन रूपया 50,000/–(पचास हजार रूपये) का निजी बंधपत्र न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर मु0अ0सं0 313/2025 अन्तर्गत धारा–303 (2) बी0एन0एस0, थाना क्वार्सी, जिला अलीगढ में जमानत पर रिहा किया जाये।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTO (क्रिमिनल) संख्या 04/2021 में पारित आदेश दिनांकित 31–01–2023 व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र संख्या– 448/SLSA–06/2021 दिनांकित 13–02–2023 के सन्दर्भ में आदेश की प्रति सम्बन्धित जेल अधीक्षक कारागार को जरिये ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि आदेश का इन्द्राज e-prison software में करें।

दिनांकः 03–07–2025

(हरविन्दर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01,
अलीगढ़।

Digitally signed by HARVINDRA SINGH
Date: 2025.07.03 16:39:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court